BACKGROUNDERS
Press Information Bureau
Government of India

हर थाली में भोजन

81 करोड़ नागरिकों के लिए खाद्य और पोषण समानता सुनिश्चित करने के लिए भारत का बहुआयामी मिशन

प्रमुख बिंदु

- अक्टूबर 2025 तक, **78.90 करोड़ लाभार्थियों को** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत **नि:शुल्क खाद्यान्न मिल रहा है।**
- **1 जुलाई 2025 तक,** केंद्रीय पूल में **क्रमशः 135.40 एलएमटी और 275.80 एलएमटी के स्टॉक मानदंडों के मुकाबले** 377.83 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) **चावल और** 358.78 एलएमटी गेहूं था।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में **मेरा राशन 2.0 ऐप** और **अन्न मित्र मोबाइल ऐप** जैसे डिजिटल सुधार

प्रस्तावना

खाद्य सुरक्षा यह सुनिश्चित कर रही है कि सभी लोगों को हर समय पर्याप्त सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक वास्तविक और आर्थिक पहुंच प्राप्त हो जो सक्रिय और स्वस्थ जीवन के लिए उनकी आहार संबंधी आवश्यकताओं और खाद्य प्राथमिकताओं को पूरा करता हो। इसे प्राप्त करने के लिए न केवल अन्न के पर्याप्त उत्पादन की आवश्यकता होती है, बल्कि इसके समान वितरण की भी आवश्यकता होती है।

सरकार ने उत्पादन बढ़ाने के लिए **वर्ष 2007-08 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)** आरंभ किया। इसका उद्देश्य क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता में वृद्धि के माध्यम से चावल, गेहूं और दालों के उत्पादन में वृद्धि, मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता को बहाल करना, रोजगार के अवसर सृजित करना और कृषि स्तर की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना था। 2014-15 में, उत्पादकता, मिट्टी के स्वास्थ्य और किसान की आय पर ध्यान केंद्रित करते हुए, मोटे अनाज को शामिल करने के लिए एनएफएसएम का विस्तार किया गया था। 2024-25 में, खाद्य **उत्पादन और पोषण पर दोहरा जोर देने के साथ इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)** कर दिया गया। एनएफएसएनएम के तहत, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश किसानों को फसल उत्पादन और संरक्षण प्रौद्योगिकियों, फसल प्रणाली आधारित प्रदर्शन, नई जारी किस्म/संकरों के प्रमाणित बीजों के उत्पादन और वितरण, एकीकृत पोषक तत्व और कीट प्रबंधन तकनीकों, फसल के सीजन के दौरान प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों की क्षमता निर्माण आदि जैसी सहायता प्रदान करते हैं।

जहां एनएफएसएम/एनएफएसएनएम केंद्रीय पूल के लिए उच्च खाद्यान्न उत्पादन सुनिश्चित करता है, राष्ट्रीय **खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013** उनके समान वितरण की गारंटी देता है। एनएफएसए कानूनी रूप से 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी और 50 प्रतिशत शहरी आबादी को **लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के माध्यम से सब्सिडी (वर्तमान में निशुल्क) खाद्यान्न का हकदार बनाता है**, साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि निर्बल परिवारों को पर्याप्त भोजन और पोषण प्राप्त हो।

एक साथ मिलकर, एनएफएसएम/एनएफएसएनएम और एनएफएसए भारत के खाद्य सुरक्षा ढांचे की रीढ़ हैं, एक उत्पादन को बढ़ावा देता है, दूसरा वितरण सुनिश्चित करता है, जिससे समावेशी विकास, स्थिरता और पोषण सुरक्षा के साथ उत्पादकता लाभ का संयोजन होता है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और टीपीडीएस

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 का उद्देश्य ग्रामीण आबादी के 75 प्रतिशत और शहरी आबादी के 50 प्रतिशत तक की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करना है, जो 2011 की जनगणना में 81.35 करोड़ व्यक्तियों की है।

जहां अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के परिवार, जो सबसे निर्धन हैं, प्राथमिकता प्राप्त परिवार (पीएचएच) अधिनियम की अनुसूची-I मूल्यों (वर्तमान में निशुल्क) में विनिर्दिष्ट एक समान सब्सिडी प्राप्त मूल्यों पर प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न के हकदार हैं।

केंद्र सरकार ने एनएफएसए के तहत 1 जनवरी 2023 से अंत्योदय अन्न योजना परिवारों और पीएचएच लाभार्थियों को नि:शुल्क खाद्यान्न प्रदान करने का निर्णय लिया था। **नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण की अवधि** 1 जनवरी 2024 से पांच वर्ष **के लिए बढ़ा दी गई है**। इसका अनुमानित **वित्तीय परिव्यय 11.80 लाख करोड़ रुपये है**, जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है।

अक्टूबर 2025 तक, 78.90 करोड़ लाभार्थियों को अधिनियम के तहत नि:शुल्क खाद्यान्न मिल रहा है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पात्र परिवार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने के हकदार हैं।

यह अधिनियम लोगों को सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए किफायती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तायुक्त भोजन तक पहुंच सुनिश्चित करके मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करता है। अधिनियम की अनुसूची-I में निर्दिष्ट कीमतों पर खाद्यान्न यानी चावल/गेहूं/मोटे अनाज प्राप्त करने के लिए ग्रामीण आबादी के 75 प्रतिशत और शहरी आबादी के 50 प्रतिशत तक, यानी देश की कुल आबादी के लगभग दो-तिहाई हिस्से को कवर करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम में यह प्रावधान है कि समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस)

और पीएम-पोषण स्कीमों के अंतर्गत 6 माह से 14 वर्ष के आयु वर्ग की गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं तथा बच्चे निर्धारित पोषण मानकों के अनुसार भोजन के हकदार हैं। 6 वर्ष तक की आयु के कुपोषित बच्चों के लिए उच्च पोषण मानदंड निर्धारित किए गए हैं। गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं गर्भावस्था की अवधि के दौरान मजदूरी के नुकसान की आंशिक रूप से भरपाई करने और पोषण के पूरक के लिए कम से कम 6,000 रुपये का नकद मातृत्व लाभ प्राप्त करने की हकदार हैं। लक्षित लाभार्थियों में पोषण मानकों में सुधार के लिए, सरकार ने दिनांक 25.01.2023 की अधिसूचना के माध्यम से अधिनियम की अनुसूची-II में निर्दिष्ट पोषण मानदंडों को संशोधित किया है।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) की भूमिका

यह सुनिश्चित करने के लिए कि एनएफएसए के लाभ लक्षित आबादी तक कुशलतापूर्वक पहुंचें, लक्षित **सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस), सब्सिडी** प्राप्त खाद्यान्नों के लिए प्राथमिक वितरण तंत्र के रूप में कार्य करती है। यह **केंद्र और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के संयुक्त उत्तरदायित्व** के माध्यम से संचालित होता है:

- **केन्द्र सरकार** भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) **के नामित डिपुओं में खाद्यान्नों की** खरीद, आवंटन और परिवहन **के लिए उत्तरदायित्व है**।
- राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें **राज्य के भीतर आवंटन और वितरण** का प्रबंधन **करती हैं**, पात्र लाभार्थियों की पहचान करती हैं, राशन कार्ड जारी करती हैं और **कुशल वितरण सुनिश्चित करने के लिए** उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) के कामकाज की निगरानी करती हैं।

यह ढांचा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली **के माध्यम से पात्र परिवारों**, विशेष रूप से **निर्धन और निर्बल लोगों** के लिए अत्यधिक सब्सिडी प्राप्त खाद्यान्नों तक पहुंच **सुनिश्चित करता है।**

अधिनियम पात्रता के लिए परिवारों की दो श्रेणियों को मान्यता देता है:

- **अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवार:** ये परिवार सबसे निर्धन होते हैं। अंत्योदय अन्न योजना के परिवार प्रति **परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न के हकदार हैं।**
- **प्राथमिकता वाले परिवार (पीएचएच):** ये परिवार प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न **के हकदार हैं।**

केंद्र सरकार ने एनएफएसए के तहत 1 जनवरी 2023 से अंत्योदय अन्न योजना परिवारों और पीएचएच लाभार्थियों को नि:शुल्क खाद्यान्न प्रदान करने का निर्णय लिया था। **नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण की अवधि** 1 जनवरी 2024 से पांच वर्ष **के लिए बढ़ा दी गई है**, जिसका अनुमानित **वित्तीय परिव्यय 11.80 लाख करोड़ रुपये है**, जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है।

लाभार्थी कौन हैं?

अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवार

- **पहचान:** केंद्र सरकार के मानदंडों के आधार पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा चुना जाता है, जिसमें निर्धनतम व्यक्ति को शामिल किया जाता है।
- **योग्य श्रेणियां :**
  - क. विधवाओं, गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों, दिव्यांगजनों या बुजुर्ग व्यक्तियों (60 से अधिक) के नेतृत्व वाले परिवारों के पास निर्वाह या सामाजिक सहायता का कोई सुनिश्चित साधन नहीं है।
  - ख. विधवाओं या असाध्य रूप से बीमार व्यक्तियों या दिव्यांगजनों या 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति या एकल महिलाओं या एकल पुरुषों के पास कोई परिवार या सामाजिक समर्थन या निर्वाह के सुनिश्चित साधन नहीं हैं।
  - ग. सभी आदिम जनजातीय परिवार।
  - घ. भूमिहीन कृषि मजदूर, सीमांत किसान, ग्रामीण कारीगर/शिल्पकार, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले, और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अनौपचारिक क्षेत्र और अन्य समान श्रेणियों में दैनिक आजीविका अर्जित करने वाले लोग।
  - ङ. गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के सभी पात्र एचआईवी पॉजिटिव व्यक्तियों के परिवार।

प्राथमिकता वाले परिवार

- पहचान: राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा अपने स्वयं के मानदंडों के अनुसार चयन।

टीडीपीएस के तहत लाभार्थियों की पहचान की प्रक्रिया

टीपीडीएस नियंत्रण आदेश, 2015 के तहत, एनएफएसए लाभार्थियों की पहचान करना राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा की जाने वाली एक सतत प्रक्रिया है। इसमें अपात्र, नकली या डुप्लिकेट राशन कार्डों को हटाना शामिल है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल सही परिवारों को ही लाभ मिले। एक अद्यतन लाभार्थी सूची बनाए रखने और खाद्यान्न की आपूर्ति को विनियमित करके, एनएफएसए यह सुनिश्चित करता है कि निर्बल और जरूरतमंद आबादी को प्रभावी ढंग से सहायता दी जाए। यह प्रक्रिया खाद्य सुरक्षा को भी सुदृढ़ करती है, बाजार की कीमतों को स्थिर करने में मदद करती है और देश भर में पात्र लाभार्थियों के लक्ष्यीकरण में सुधार करती है।

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली प्रमुख सरकारी पहल

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीके)

पीएमजीकेएवाई को देश में कोविड-19 के प्रकोप के कारण हुए आर्थिक व्यवधानों के कारण निर्धनों और जरूरतमंदों के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था। यह योजना सात चरणों में प्रचालनगत थी। पीएमजीकेएवाई का सातवां चरण 31.12.2022 तक प्रचालन में था।

केंद्र सरकार ने निर्धन लाभार्थियों के वित्तीय बोझ को दूर करने और गरीबों की सहायता के लिए कार्यक्रम के राष्ट्रव्यापी एकरूपता और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, पीएमजीकेएवाई के तहत 1 जनवरी 2023 से अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के परिवारों और प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) लाभार्थियों को निशुल्क खाद्यान्न प्रदान करने का निर्णय लिया था। निशुल्क खाद्यान्न वितरण की अवधि 1 जनवरी, 2024 से पांच साल के लिए बढ़ा दी गई है, जिसका अनुमानित वित्तीय परिव्यय 11.80 लाख करोड़ रुपये है, जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

चावल फोर्टिफिकेशन पहल

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और अपने लोगों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों के सेवन में सुधार करना हमेशा भारत सरकार की प्राथमिकता रही है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग इस उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध है और समग्र पोषण परिदृश्य में सुधार के लिए प्रयास कर रहा है।

- विभाग द्वारा आरंभ की गई प्रमुख युक्तियों में से एक में चावल फोर्टिफिकेशन पहल शामिल है।
- आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ स्टेपल का फोर्टिफिकेशन विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त, सुरक्षित, लागत प्रभावी और साक्ष्य-आधारित युक्तियों में से एक रहा है जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के बोझ को कम करने के लिए एक पूरक कार्यनीति है।
- चूंकि चावल भारत की लगभग 65 प्रतिशत आबादी का मुख्य भोजन है, इसलिए भारत सरकार ने 2019 में चावल फोर्टिफिकेशन पर एक अग्रगामी कार्यक्रम शुरू किया। 2021 में भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सरकार की खाद्य-आधारित योजनाओं के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से 2024 तक आबादी के सबसे निर्धन और सबसे निर्बल वर्गों के लिए फोर्टिफाइड चावल के प्रावधान की घोषणा की।
- फोर्टिफाइड चावल को चावल के साथ 1 प्रतिशत वजन के अनुपात में मिश्रित करके फोर्टिफाइड चावल बनाया जाता है। इन एफआरके में चावल का आटा और तीन प्रमुख सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, अर्थात् आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी12, वे आकार, आकार और रंग में पिसे हुए चावल से मिलते जुलते हैं और सामान्य चावल के समान सुगंध, स्वाद और बनावट रखते हैं।
- भारत में चावल फोर्टिफिकेशन को कार्यान्वित करने के निर्णय में एक पूर्ण परियोजना जीवनचक्र सम्मिलित रहा जिसमें पायलटिंग, मानकीकरण, आवश्यक इको-सिस्टम बनाना, कार्यान्वयन करना और फिर स्केलिंग शामिल है।
- इस योजना को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया गया था। चरण I (2021-22) में आईसीडीएस और पीएम पोषण योजना को शामिल किया गया, और चरण II (2022-23) में विकास अवरूद्धता (स्टंटिंग) से ग्रसित 269 आकांक्षी और अधिक व्याप्ति वाले जिलों में आईसीडीएस, पीएम पोषण और टीपीडीएस को शामिल किया गया। चरण III (2023-24) में टीपीडीएस के तहत शेष जिलों को भी शामिल किया गया था।
- मार्च 2024 तक, सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पीएमजीकेएवाई, आईसीडीएस, पीएम-पोषण आदि जैसी केंद्र सरकार की सभी योजनाओं के तहत आपूर्ति किए गए चावल का 100 प्रतिशत फोर्टिफाइड किया गया है।
- हाल ही में कैबिनेट ने पीएमजीकेएवाई के हिस्से के रूप में भारत सरकार द्वारा शत-प्रतिशत वित्तपोषण (17082 करोड़ रुपये) के साथ दिसंबर 2028 तक केंद्र सरकार की सभी योजनाओं के तहत फोर्टिफाइड चावल की सार्वभौमिक आपूर्ति जारी रखने की मंजूरी दी है।

प्रत्यक्ष लाभार्थी हस्तांतरण (डीबीटी)

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) में कई प्रमुख सुधार लागू किए, ऐसा ही एक सुधार खाद्य पात्रता के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) का कार्यान्वयन रहा है। सरकार ने अगस्त 2015 में 'खाद्य सब्सिडी का नकद हस्तांतरण नियम, 2015' अधिसूचित किया, जिसका उद्देश्य खाद्यान्न की वास्तविक आवाजाही को कम करना, लाभार्थियों को खाद्य चयन में अधिक स्वायत्तता प्रदान करना, आहार विविधता को बढ़ाना, वित्तीय नुकसान को कम करना, लक्ष्यीकरण में सुधार करना और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है।

नकद अंतरण खाद्य सब्सिडी नियमावली, अगस्त, 2015 का कार्यान्वयन

- ➢ यह योजना राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए वैकल्पिक है।
- ➢ राज्य सरकार की लिखित सहमति के साथ "पहचाने गए क्षेत्रों" में संचालित होता है।
- ➢ कवर न किए गए क्षेत्रों में पारंपरिक लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का खाद्यान्न वितरण जारी है।

खाद्य पदार्थों में प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण का कार्यान्वयन

- **सितंबर 2015:** चंडीगढ़ और पुडुचेरी (केंद्र शासित प्रदेश।
- **मार्च 2016:** दादर नागर हवेली और दमन दीव का हिस्सा।
- इन केंद्र शासित प्रदेशों में, एनएफएसए नकद हस्तांतरण मोड में काम करता है:
- ➢ सब्सिडी के बराबर लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे नकदी हस्तांतरित किया जाता है।
- ➢ पात्र परिवारों को खुले बाजार से खाद्यान्न खरीदने में सक्षम बनाता है।

एकीकृत बाल विकास योजनाएं

- ➢ यह योजना महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम (डब्ल्यूबीएनपी) और किशोरियों के लिए योजना के तहत चलाई जाती है।
- ➢ 6 महीने से 59 महीने की आयु के बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और 14-18 वर्ष की किशोरियों को आईसीडीएस के माध्यम से गर्म पके हुए भोजन और/या घर ले जाने वाले राशन के रूप में पूरक पौष्टिक भोजन प्रदान किया जाता है।
- ➢ वित्त वर्ष 24-25 के लिए डीएफपीडी से आवंटन: 26.46 एलएमटी चावल, गेहूं और मोटे अनाज

पीएम पोषण (पोषण शक्ति निर्माण) योजना

- पीएम पोषण (पोषण शक्ति निर्माण) योजना एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पहल है जिसे सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करके शिक्षा को बढ़ाने और भूख से निपटने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे वंचित छात्रों के बीच नियमित उपस्थिति को प्रोत्साहित किया जा सके। इस योजना के तहत, 14 वर्ष की आयु तक के सभी प्राथमिक छात्रों को पौष्टिक गर्म पका हुआ मध्याह्न भोजन प्रदान किया जाता है। पोषण मानकों को पूरा करने वाला मध्याह्न भोजन सुनिश्चित करके, यह बेहतर स्वास्थ्य में सहायता करता है, स्कूल में उपस्थिति बढ़ाता है और बच्चों के बीच सीखने के परिणामों में सुधार करता है, साथ ही सामाजिक समानता और सामुदायिक भागीदारी को भी बढ़ावा देता है।
- वित्त वर्ष 24-25 के लिए डीएफपीडी से आवंटन: 22.96 एलएमटी चावल और गेहूं।

वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी)

ओएनओआरसी योजना, जिसे सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है, लगभग 81 करोड़ लाभार्थियों को ई-पीओएस डिवाइस पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ अपने विद्यामान राशन कार्ड/आधार कार्ड का उपयोग करके देश में किसी भी एफपीएस से अपने हकदार खाद्यान्न उठाने का अधिकार प्रदान करता है।

ओएनओआरसी प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष रूप से लाभप्रद है और राशन कार्ड के दोहराव को रोकता है। स्थापना के बाद से, **अक्टूबर 2025** तक लगभग 191 करोड़ **पोर्टेबिलिटी लेनदेन (अंत:-राज्य और अंतर-राज्य) दर्ज किए गए हैं।**

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू)

सार्वजनिक वितरण प्रणाली सस्ती कीमतों पर खाद्यान्नों के वितरण के माध्यम से कमी के प्रबंधन की एक प्रणाली के रूप में विकसित हुई है। पिछले कुछ वर्षों में, पीडीएस देश में खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए सरकार की नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। पीडीएस में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रौद्योगिकी-संचालित सुधारों के माध्यम से उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया गया है। सब्सिडी वाले खाद्यान्नों के पारदर्शी, बायोमेट्रिक/आधार-प्रमाणित वितरण के लिए ईपीओएस उपकरणों का उपयोग करने के परिणामस्वरूप **राशन कार्डों/लाभार्थी डेटाबेस का** 100 प्रतिशत डिजिटलीकरण**, राशन कार्डों की** 99.9 **प्रतिशत** आधार सीडिंग और लगभग **99.6 प्रतिशत (5.43 लाख में से 5.41 लाख) उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस)** का ऑटोमेशन हुआ है। इसके अतिरिक्त, अधिशेष खाद्यान्न (गेहूं और चावल) को **बाजार की उपलब्धता बढ़ाने, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आम जनता के लिए सामर्थ्य सुनिश्चित करने के लिए** खुला बाजार बिक्री योजना (घरेलू) [ओएमएसएस (डी)] के माध्यम से बेचा जाता है।

यह निम्नलिखित रूप से लाभकारी है:

- बाजार में खाद्यान्नों की उपलब्धता बढ़ती है।
- कीमतों को स्थिर करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखा जाता है।
- खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होता है।
- आम जनता के लिए खाद्यान्न और अधिक किफायती बनता है।

इसके अतिरिक्त, खुला बाजार बिक्री योजना घरेलू (ओएमएसएस-डी) नीति के तहत आम उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर गेहूं का आटा और चावल उपलब्ध कराने के लिए भारत आटा और भारत चावल शुरू किया गया था।

एनएफएसए के तहत खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण और आवंटन

यह सुनिश्चित करते हुए कि अनाज उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) मानकों को पूरा करें, गेहूं और चावल की खरीद राज्य सरकार की एजेंसियों और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर की जाए, इन खरीदे गए अनाजों को केंद्रीय पूल में संग्रहीत किया जाता है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) के तहत वितरित किया जाता है।

प्रत्येक विपणन सीज़न से पहले, खरीद दो प्रणालियों के माध्यम से होती है:

1. **विकेन्द्रीकृत खरीद प्रणाली (डीसीपी)** - राज्य सरकारें एनएफएसए और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत धान/चावल और गेहूं की सीधे खरीद, भंडारण और वितरण करती हैं। राज्य के आबंटनों से अधिक का कोई भी स्टॉक भारतीय खाद्य निगम को सौंप दिया जाता है।
2. **केन्द्रीकृत खरीद प्रणाली (गैर-विकेन्द्रीकृत खरीद प्रणाली)** - भारतीय खाद्य निगम अथवा राज्य एजेंसियां खाद्यान्नों की खरीद करती हैं और उन्हें राज्य के भीतर भंडारण और वितरण अथवा अन्य राज्यों को अंतरित करने के लिए भारतीय खाद्य निगम को सौंपती हैं।

दोनों प्रणालियां किसानों की आय का समर्थन करते हुए सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्नों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करती हैं।

देश भर में खाद्य सुरक्षा और प्रभावी वितरण सुनिश्चित करने के लिए सरकार खाद्यान्नों का एक केन्द्रीय पूल रखती है जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की रीढ़ के रूप में कार्य करता है। 1 जुलाई 2025 तक, केंद्रीय पूल में

क्रमशः 135.40 एलएमटी और 275.80 एलएमटी के स्टॉक मानदंडों के मुकाबले 377.83 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) चावल और 358.78 एलएमटी गेहूं था। ये स्टॉक पहले एनएफएसए/पीएमजीकेएवाई, अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत वार्षिक आवंटन और आपदाओं या त्योहारों के लिए अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अधिशेष खाद्यान्नों का निपटान खुला बाजार बिक्री योजना-घरेलू (ओएमएसएस-डी) के माध्यम से किया जाता है, जबकि पात्र देशों को मानवीय सहायता विदेश मंत्रालय के माध्यम से पूर्ण अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तंत्र के तहत प्रमुख खाद्यान्नों-धान और गेहूं की खरीद भारत में खाद्य सुरक्षा की सहायता करने वाला एक मूलभूत स्तंभ है जो मुख्य रूप से वास्तविक उपलब्धता सुनिश्चित करता है और किसानों और उपभोक्ताओं के लिए स्थिरता और आर्थिक पहुंच को बढ़ाता है। 13 अक्टूबर, 2025 तक, खरीफ विपणन सत्र 2024-25 में धान की खरीद 813.88 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) तक पहुंच गई, जिसका मूल्य एमएसपी पर 1.9 लाख करोड़ रुपये है, जिससे 1.15 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं। रबी विपणन सत्र 2024-25 में 60,526.80 करोड़ रुपये मूल्य के 266.05 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई, जिससे 22.49 लाख किसान लाभान्वित हुए। रबी विपणन सत्र 2025-26 (11.08.2025 तक) में 300.35 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई, जिसका मूल्य 72,834.15 करोड़ रुपये है, जिससे 25.13 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के कार्यान्वयन में सहायता करने और खाद्यान्नों की समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए, एनएफएसए के तहत खाद्यान्न का कुल वार्षिक आवंटन वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जुलाई 2025 तक 18,498.94 हजार टन था और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए यह 55,493.044 हजार टन था।

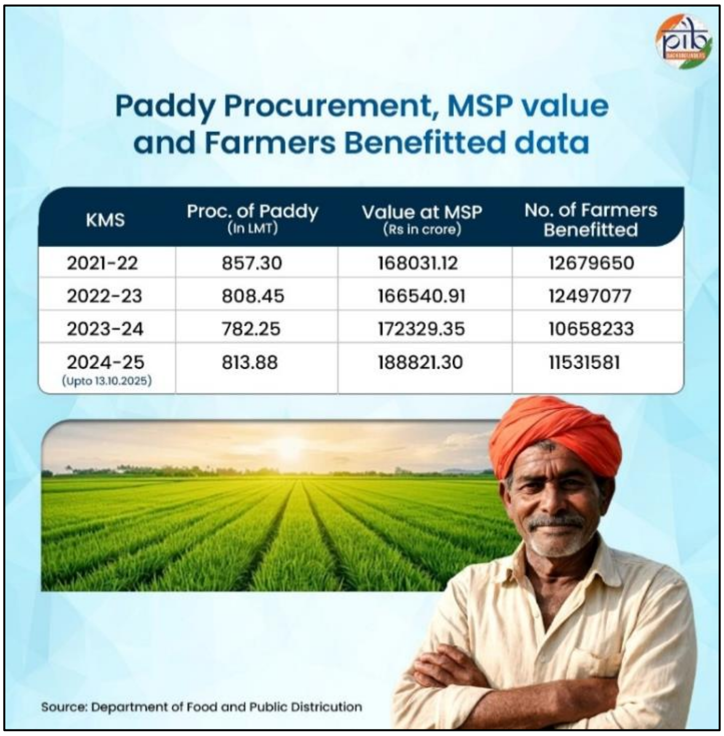

KMS	Proc. of Paddy (In LMT)	Value at MSP (Rs in crore)	No. of Farmers Benefitted
2021-22	857.30	168031.12	12679650
2022-23	808.45	166540.91	12497077
2023-24	782.25	172329.35	10658233
2024-25 (Upto 13.10.2025)	813.88	188821.30	11531581

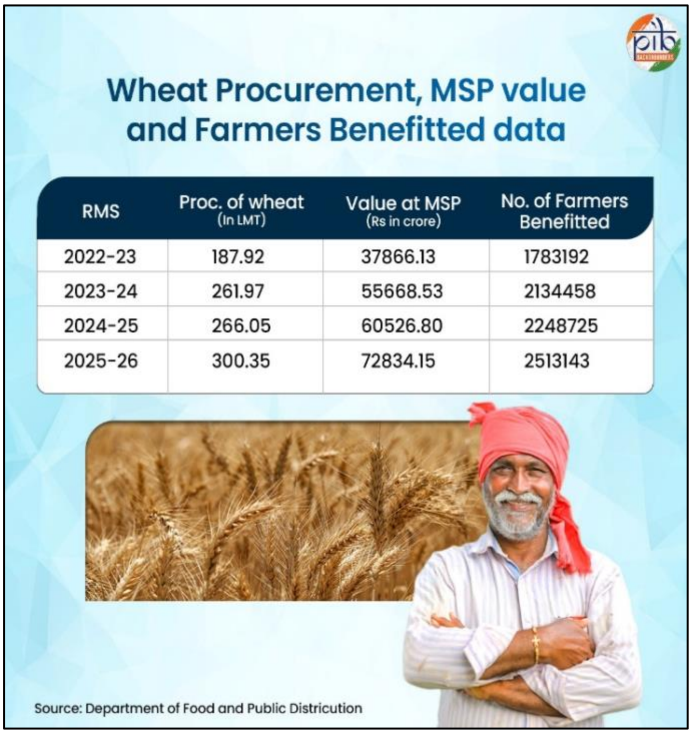

RMS	Proc. of wheat (In LMT)	Value at MSP (Rs in crore)	No. of Farmers Benefitted
2022-23	187.92	37866.13	1783192
2023-24	261.97	55668.53	2134458
2024-25	266.05	60526.80	2248725
2025-26	300.35	72834.15	2513143

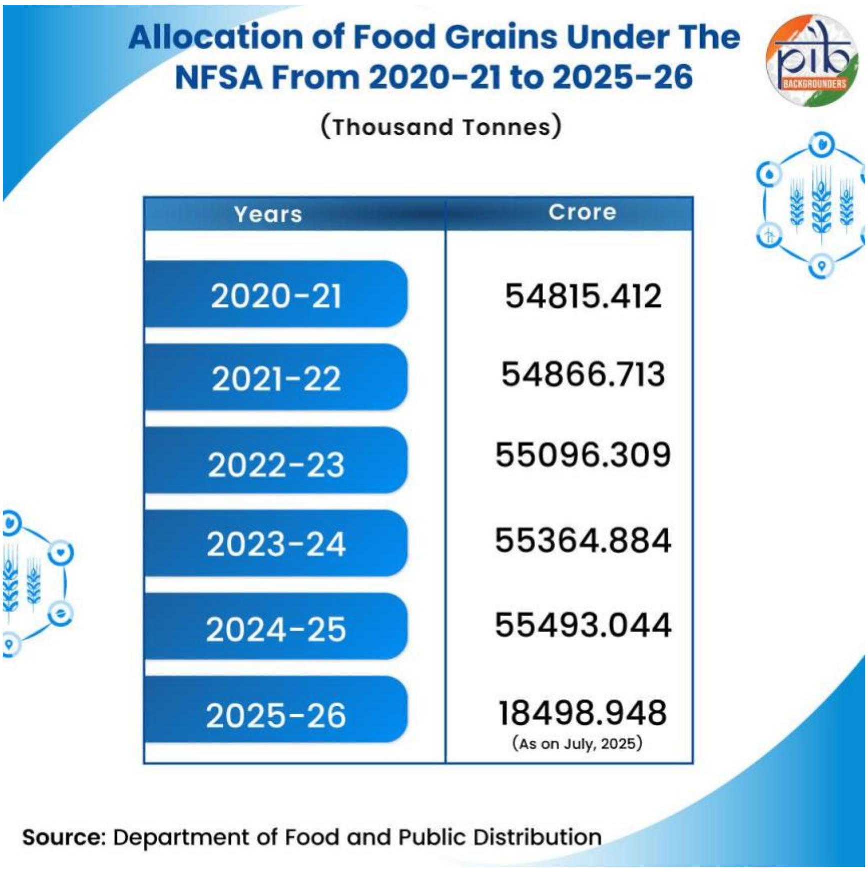
Allocation of Food Grains Under The NFSA From 2020-21 to 2025-26

(Thousand Tonnes)

Years	Crore
2020-21	54815.412
2021-22	54866.713
2022-23	55096.309
2023-24	55364.884
2024-25	55493.044
2025-26	18498.948 (As on July, 2025)

Source: Department of Food and Public Distribution

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में पारदर्शिता और दक्षता के लिए प्रमुख उपाय

सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) सुधारों को बढ़ाने के लिए कई युक्तियां आरंभ की हैं: -

- **डिजिटलीकरण:** सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राशन कार्ड और लाभार्थियों के डेटाबेस को पूरी तरह से (100 प्रतिशत) डिजिटाइज़ किया गया है।
- **पारदर्शिता और शिकायत निवारण**: एक पारदर्शिता पोर्टल, ऑनलाइन शिकायत निवारण सुविधा और टोल-फ्री नंबर देश भर में लागू किया गया है।
- **ऑनलाइन आवंटन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन**: केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, पुडुचेरी और दादरा और नगर हवेली के शहरी क्षेत्रों को छोड़कर, सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में ऑनलाइन आवंटन लागू किया गया है, जिन्होंने डीबीटी प्रत्यक्ष लाभ नकद हस्तांतरण योजनाओं को अपनाया है। दूसरी ओर, 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को कम्प्यूटरीकृत किया गया है।
- **आधार सीडिंग**: लगभग **99.9 प्रतिशत** राशन कार्ड राष्ट्रीय स्तर पर आधार संख्या के साथ जुड़े हुए हैं।
- **उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) का ऑटोमेशन**: लगभग सभी एफपीएस अब ईपीओएस उपकरणों से लैस हैं, जो एनएफएसए के तहत खाद्यान्नों के इलेक्ट्रॉनिक और पारदर्शी वितरण के लिए बायोमेट्रिक/आधार-आधारित प्रमाणीकरण को सक्षम करते हैं।
- **वन नेशन, वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी)**: यह पहल लाभार्थियों को पोर्टेबिलिटी और सुविधा सुनिश्चित करते हुए देश में कहीं भी पीडीएस लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाते है।
- हेल्पलाइन नंबर 1967/1800-राज्य श्रृंखला नंबर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शिकायतों से संपर्क करने और उनका निवारण करने और लक्षित लाभार्थियों द्वारा किसी भी प्रकार की शिकायतें दर्ज करने के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में प्रचालनगत है। जब कभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भ्रष्टाचार और गबन सहित कोई भी शिकायत इस विभाग में किसी स्त्रोत से प्राप्त होती है, तो उसे जांच और उचित कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को भेज दिया जाता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में डिजिटल सुधार

मेरा राशन 2.0: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत लाभार्थियों के लिए पारदर्शिता और सुविधा बढ़ाने के लिए, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) ने 20 अगस्त 2024 को मेरा राशन 2.0 मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया। अपग्रेडेड ऐप लाभार्थियों को उनकी पात्रता, निकासी विवरण और निकटतम उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) के स्थान के साथ-साथ सहज, उपयोगकर्ता के अनुकूल अनुभव के लिए नई मूल्य वर्धित सुविधाओं के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करता है। 1 करोड़ से अधिक डाउनलोड पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं।

अन्न मित्र मोबाइल ऐप: ऐप महत्वपूर्ण परिचालन डेटा तक सुरक्षित पहुंच प्रदान करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) क्षेत्र के अधिकारियों को सशक्त बनाता है। इसे उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) डीलरों, खाद्य निरीक्षकों और जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारियों (डीएफएसओ) के लिए प्रक्षेत्र-स्तरीय निगरानी, स्टॉक प्रबंधन और अनुपालन रिपोर्टिंग को सुव्यवस्थित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

अन्न मित्र की मुख्य डिजाइन विशेषताएं:

- प्रक्षेत्र-स्तरीय प्रचालन, स्टॉक ट्रैकिंग और अनुपालन रिपोर्टिंग को सुव्यवस्थित करता है।
- राशन कार्ड, लाभार्थी प्रबंधन और अन्य हितधारक जानकारी के लेन-देन की संक्षिप्त जानकारी प्रदान करता है।
- निरीक्षण मॉड्यूल, फीडबैक और रेटिंग सुविधाएं शामिल हैं।
- जिले से एफपीएस स्तर तक स्टॉक-स्तरीय प्रबंधन को सक्षम बनाता है।

लाभ:

- बाधाओं को कम करता है और मैन्युअल कागजी कार्रवाई को खत्म करता है।
- वास्तविक समय डेटा पहुंच के माध्यम से निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।
- सभी प्रमुख पीडीएस हितधारकों को एक सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर पारदर्शिता, गति और दक्षता में सुधार करता है।

वर्तमान में, अन्न मित्र ऐप 15 राज्यों- असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, नागालैंड, गोवा, जम्मू और कश्मीर, दमन और दीव, लद्दाख, महाराष्ट्र, पंजाब और त्रिपुरा में प्रचालनगत है और अंग्रेजी तथा हिंदी में उपलब्ध है। अन्य राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में इसे लागू करने को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है।

स्मार्ट-पीडीएस

इन सुधारों को और आगे बढ़ाने के लिए, भारत सरकार दिसंबर 2025 तक चरणों में **स्मार्ट-पीडीएस (पीडीएस में प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधुनिकीकरण और सुधार के लिए योजना)** पहल शुरू करने के लिए तैयार है, जिसका उद्देश्य पीडीएस की तकनीकी आधारशीला को सुदृढ़ करना और चार प्रमुख मॉड्यूल पर ध्यान केंद्रित करके परिवर्तनकारी परिवर्तन लाना है:

1. खाद्यान्न खरीद
2. आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और अनाज का आवंटन
3. राशन कार्ड और उचित मूल्य की दुकान प्रबंधन
4. बायोमेट्रिक-आधारित अनाज वितरण मॉड्यूल (ई-केवाईसी)।

निष्कर्ष

भारत की खाद्य सुरक्षा संरचना कृषि उत्पादन को सुदृढ़ करने और समान वितरण सुनिश्चित करने की दोहरी कार्यनीति पर आधारित है। साथ ही, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई), विकेंद्रीकृत खरीद योजना (डीसीपी), और खुले बाजार बिक्री योजना-घरेलू (ओएमएसएस-डी) जैसे प्रमुख कार्यक्रमों द्वारा सहायता प्राप्त है। यह लगभग 81 करोड़ लोगों को सस्ती और समावेशी वितरण की गारंटी देता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें किफायती खाद्यान्न प्राप्त हो, मूल्य स्थिरता बनी रहे तथा निर्बल परिवारों को भूख और कुपोषण से बचाया जाए।

संदर्भ

विश्व बैंक

https://www.worldbank.org/en/topic/agriculture/brief/food-security-update/what-is-food-security

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

https://www.pib.gov.in/factsheetdetails.aspx?id=148563
https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=151969&ModuleId=3
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1592269
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2098449
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2159013
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1988732.
https://www.pib.gov.in/PressNoteDetails.aspx?NoteId=151969&ModuleId=3
https://dfpd.gov.in/implementation-of-nfsa/en
https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU4518_ge2pFO.pdf?source=pqals
https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU602_TrQ8Qc.pdf?source=pqals
https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU4410_Jc3GA9.pdf?source=pqals
https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU1688_G6tfjV.pdf?source=pqals
https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU4141_ES2bf4.pdf?source=pqals
https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU4518_ge2pFO.pdf?source=pqals
https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU2834_fivpqa.pdf?source=pqals
https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AS390_q5eZib.pdf?source=pqals
https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU1781_sGYRRs.pdf?source=pqals
https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AS242_Qrobv3.pdf?source=pqals
https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU1763_1EKZjU.pdf?source=pqals
https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/185/AU2834_fivpqa.pdf?source=pqals
https://www.nfsm.gov.in/Guidelines/NFSNM%20GUIDELINES%20APPROVED%20FY%202025-2026.pdf
https://oilseeds.dac.gov.in/doddocuments/Nodalcropsduring.pdf
https://dfpd.gov.in/procurement-policy/en
https://www.nfsm.gov.in/Guidelines/Guideline_nfsmandoilseed201819to201920.pdf
https://nfsm.gov.in/Guidelines/NFSNM%20GUIDELINES%20APPROVED%20FY%202025-2026.pdf
https://www.pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2055957

पीके/केसी/एसकेजे/एसके/एसवी